

दिनांक 24.08.18 एवं 25.08.18 को ए के एस यूनिवर्सिटी, सतना, मध्य प्रदेश में होनवाले गैस टेस्टिंग परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों के लिये दिशा निर्देश :

(क) परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को निर्देश

- 1 किसी भी उम्मीदवार को इस प्राधिकार पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा।
- 2 पहचान के लिये उम्मीदवार को अपने नियोक्ता/संस्थान का परिचय पत्र लाना होगा।
- 3 आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति परीक्षा के समय जमा करनी होगी।
- 4 हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, मूल रूप से, परीक्षा के समय लाना होगा एवं साथ में इसकी अभिप्रमाणित प्रति भी लानी होगी। अंक सूची मान्य नहीं है।
- 5 मान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र, मूल प्रति जमा करना होगा। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का नाम, जारी करने की तिथि, डॉक्टर का नाम, पंजीयन संख्या तथा आवेदक के हस्ताक्षर अंकित होनी चाहिए।
- 6 चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति मुहर सहित प्रस्तुत करनी होगी। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का पूरा नाम, पिता का नाम, जारी करने की तिथि, अंकित होनी चाहिए।
- 7 अभ्यर्थी का नाम (हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार) फोटो के समक्ष भाग पर स्पष्ट रूप से लिखित कर, खान प्रबन्धक अथवा राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित किए हुए (03) पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होंगे।
- 8 ओरीजनल फ्लेम लैम्प हेंडलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र, माईन मैनेजर या व्ही. टी. सी. आफिसर या कॉलेज प्राचार्य (Principal) के रबर सील और हस्ताक्षरित होना चाहिए और प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का पूरा नाम और उसके पिता का नाम और जारी करने की तिथि होनी चाहिए।

(ख) सामान्य निर्देश

- 1 30 मिनट से अधिक विलम्ब से पहुँचने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा।
- 2 प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने बाये हाथ के अंगूठे का दो निशान देने होंगे।
- 3 परीक्षा में आते समय सभी ओरीजनल सर्टिफिकेट लाने अनिवार्य है।

(ग) अन्य आवश्यक निर्देश

- 1 यदि आप उपरोक्त परीक्षा तिथि के तीन माह के भीतर किसी भी परीक्षा केन्द्र से गैस टेस्टिंग की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तो यह प्राधिकार पत्र रद्द समझा जाए।
- 2 Mobile Phone, pagers or any other communication devices are not allowed inside the examination premises. Any infringement of above may entail strict disciplinary action.


20.08.2018

स्थानीय सचिव (खनन परीक्षा बोर्ड)
एवं खान सुरक्षा निदेशक
जबलपुर क्षेत्र, जबलपुर